न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S.(DJ Cadre)
निगरानी याचिका संख्या	–	10/2026
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010001092026

मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद सलीम उम्र 30 वर्ष निवासी वा.नं.20, नया वा.नं. 27 चूरू, तहसील व जिला चूरू (राजस्थान) – निगरानीकर्ता/अभियुक्त

वि रु द्ध

राजस्थान सरकार, जरिये योग्य लोक अभियोजक, चूरू

– गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 29.10.2025 जो योग्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू श्री हरीश कुमार द्वारा प्रकरण संख्या 573/2021 अनुवानी राज्य बनाम जुनेद वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1. श्री अब्दुल गफार, योग्य अधिवक्ता – निगरानीकर्ता/अभियुक्ता की ओर से।
2. श्री रोशनसिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आ दे श –

दिनांकः– 13–03–2026

1. यह निगरानी याचिका योग्य विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.2025 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके तहत निगरानीकर्ता/अभियुक्त का प्रार्थना–पत्र बाबत पासपोर्ट नवीनीकरण दिनांकित 08–10–2025, खारिज किया गया है।

2. संक्षेप में निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त मोहम्मद समीर के पासपोर्ट की वैधता दिनांक 21–07–2015 से दिनांक 20–07–2025 तक की थी। निगरानीकर्ता ने पासपोर्ट को नवीनीकरण हेतु भिजवाया तो पासपोर्ट कार्यालय जयपुर द्वारा हस्तगत प्रकरण लंबित होने पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इंकार कर दिया गया जिस पर योग्य विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र पेश कर पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया परन्तु योग्य विचारण न्यायाल ने यह कहते हुए आवेदन पत्र खारिज कर दिया कि पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देने से निगरानीकर्ता के विदेश चले जाने पर प्रकरण के विचारण में विलम्ब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जबकि योग्य विचारण

न्यायालय शर्तो के अध्यधीन पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति प्रदान कर सकता था। इस आधार पर निगरानी याचिका स्वीकार कर पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

3. बहस निगरानी सुनी गई। योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता/अभियुक्ता के द्वारा निगरानी याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया गया कि रोजगार के लिए विदेश जाना हर नागरिक का फण्डामेंटल राईट है और उसे किसी एक फौजदारी प्रकरण की वजह से रोका नहीं जा सकता फिर भी योग्य विचारण न्यायालय ने अनुचित रूप से निगरानीकर्ता के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया। इस आधार पर निगरानी याचिका स्वीकार कर पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सहमत हैंः–

1. एस.बी.क्रिमिनल मिस./पीटिशन नम्बर 5638/2025 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत निर्णय दिनांक 18–07–25

2. 2025 INSC 1476 महेश कुमार अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम

4. जबकि योग्य अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को विधिसम्मत होना बताया एवं निगरानी याचिका खारिज करने का अनुरोध किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन किया गया है कि उसके पासपोर्ट की वैधता दिनांक 20–07–2025 तक थी। योग्य विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश में अंकित किया है किः–

> ''**हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद समीर सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 16–04–2021 को अपराध अन्तर्गत धारा 452, 323, 325, 336, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र पेश हुआ था एवं प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद समीर को दिनांक 21–06–2022 को अपराध अन्तगर्त धारा 147, 452, 341, 323, 325 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया गया। वर्तमान में 08 अभियोजन साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं तथा शेष 08 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होना शेष है। न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त मोहम्मद समीर को पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देने एवं उसके विदेश चले जाने पर प्रकरण के विचारण के संबंध में विलंब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देना विधि सम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।**''

7. यह प्रकरण सन् 2021 से लंबित चल रहा है जिसको लंबित रहते पाँच साल का समय होने को है। योग्य विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश में अंकित किया है कि प्रकरण में आठ गवाहों के बयान हो चुके हैं तथा आठ ही गवाहों के बयान लिए जाने शेष हैं। चूंकि योग्य विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 09–04–2025 के जरिये निगरानीकर्ता/अभियुक्त को ताहुक्मशानी हाजरी माफी पूर्व में प्रदत की हुई है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता/अभियुक्त के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दिये जाने से उसके विदेश चले जाने और इस कारण प्रकरण के निस्तारण में और अधिक विलम्ब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

8. योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का सम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिनसे यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है परन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक विनिश्चय उनको कोई लाभ प्रदान नहीं करते हैं।

9. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप योग्य विचारण न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि होनी नहीं पायी जाती है।

– <u>आ दे श</u> –

10. अतः निगरानीकर्ता/अभियुक्त मोहम्मद समीर की ओर से प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिका खारिज की जाती है एवं योग्य विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांकित 29–10–2025 की पुष्टि की जाती है।

1. योग्य विचारण न्यायालय से अपेक्षा है कि हस्तगत प्रकरण में नजदीक नजदीक तारीख पेशियों दी जाकर इसके शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण के प्रभावी प्रयास किये जावे। योग्य विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की सत्य प्रति के साथ अविलंब प्रेषित हो।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

11. आदेश आज दिनांक 13–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)